



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एस.के.-अ.-21082025-265577
CG-SK-E-21082025-265577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 564]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सिक्किम विश्वविद्यालय

अधिसूचना

गंगटोक, 23 मई, 2025

फा.सं. SU/REG/F-1/06/2018/Vol.I/138.—सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29 उप-धारा (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से एतद्वारा कार्यकारिणी परिषद द्वारा सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, जैसे: —

- इन संविधियों को सिक्किम विश्वविद्यालय (संशोधन) संविधियाँ, 2025 कहा जाएगा।
- सिक्किम विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद के गठन पर सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की संविधि 11(1) में निम्नलिखित प्रावधान होंगे:
11 (1) कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्:
 - कुलपति, पदेन अध्यक्ष
 - सम कुलपति अथवा रेक्टर, पदेन सदस्य
 - सचिव (उच्चतर शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति, पदेन सदस्य
 - छात्र कल्याण डीन, पदेन सदस्य

- (v) वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन के अनुसार चार विद्यापीठों के डीन, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
- (vi) डीन के अलावा वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन के अनुसार एक प्रोफेसर, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
- (vii) वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन के अनुसार एक सह प्राध्यापक, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
- (viii) न्यायालय के दो सदस्य, जिन्हें कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान के कर्मचारी नहीं होगा।
- (ix) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक प्रतिनिधि
- (x) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित तीन व्यक्ति।
- (xi) कुलपति की सिफारिश के आधार पर कुलाध्यक्ष द्वारा पांच व्यक्तियों को नामित किया जाना है, जिनमें से एक सिक्किम सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव होंगे।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यकारिणी परिषद के पदेन सचिव होंगे।

11 (2) पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होंगे।

प्रो. लक्ष्मण शर्मा, कुलसचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असा./297/2025-26]

SIKKIM UNIVERSITY

NOTIFICATION

Gangtok, the 23rd May, 2025

F.No. SU/REG/F-1/06/2018/Vol. I/138 —In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of Section 29 of the Sikkim University Act, 2006, the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Sikkim University Act, 2006, namely: —

1. These Statutes may be called as the Sikkim University (Amendment) Statutes, 2025.

2. Statute 11(1) of the Sikkim University Act on the constitution of the Executive Council of Sikkim University shall have the following provisions as under:

11 (1) The Executive Council shall consist of the following members, namely.

- (i) Vice Chancellor, ex-officio Chairman
- (ii) Pro Vice Chancellor or Rector, ex-officio member
- (iii) Secretary (Higher Education), Ministry of Education, Government of India or his/her nominee, ex-officio member
- (iv) Deans of the Students, ex-officio member
- (v) Four Deans of Schools by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice Chancellor.
- (vi) One Professor, other than a Dean by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice Chancellor.
- (vii) One Associate Professor by rotation according to seniority, to be nominated by the Vice Chancellor.
- (viii) Two members of the Court, to be nominated by the Visitor, none of whom shall be an employee of the University or a college or an institution affiliated to or recognized by the University.
- (ix) One representative from the University Grants Commission
- (x) Three persons nominated by the Visitor

- (xi) Five persons to be nominated by the Visitor on the recommendation of the Vice Chancellor of which one will be the Secretary, Department of Human Resources Development, Government of Sikkim.

The Registrar of the University shall be the *ex-officio* Secretary to the Executive Council.

11 (2) All the members of the Executive Council, other than *ex-officio* members, shall hold office for a term of three years.

Prof. LAXUMAN SHARMA, Registrar (I/C)

[ADVT.-III/4/Exty./297/2025-26]